निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:एफ 18पार्ट–I/बीमा/व्य0एवंप0/2003–04/139-189 दिनांक: 15.05.2020

अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
समस्त संभाग/जिला कार्यालय ।

विषयः– दिनांक 01.04.2020 से परिवर्तित राज्य बीमा प्रीमियम स्लेब के संबंध में।

सन्दर्भः–सयुक्त शासन सचिव वित्त(बीमा) के पत्र क्रमांक प. 13(21)वित्त/राजस्व/76पार्ट दिनांक 05.05.2020 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम मे लेख है कि दिनांक 01.04.2020 से परिवर्तित राज्य बीमा स्लेब दर कोविड–19 महामारी के कारण मार्च माह के वेतन से राज्य बीमा की कटौति आस्थगित किये जाने के कारण मार्च, 2020 व आगे के माहों की कटौती हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है।

(1) जिन कार्मिकों की माह मार्च 2020 के वेतन से प्रथम बीमा कटौती होनी थी किन्तु माह मार्च 2020 के वेतन से वेतन आस्थगित होने के कारण उक्त कटौती नहीं हुई है, एवं माह अप्रेल 2020 के वेतन से भी कटौती नही हुई है तो वे कार्मिक माह मई,2020 के वेतन से उनके द्वारा लिये गये विकल्प अनुसार बीमा प्रिमियम कटौती करा सकेंगे। मई,2020 के वेतन से तीन माह की बीमा प्रीमियम कटौती (अर्थात् माह मार्च,अप्रेल एवं मई 2020) कटौती कराई जावेगी । ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा माह अप्रेल, 2020 के वेतन से कटौती करवाई गई है, वह माह मई, 2020 के वेतन के साथ दो माह की कटौती करावाऐगें।

(2) नियमित समस्त कार्मिकों के लिये माह मार्च, 2020 के वेतन से बीमा कटौती परिवर्तित दर से करवाई जानी है। इसके अतिरिक्त विकल्प प्रपत्र भी कार्मिक द्वारा इसी माह मे अधिक जोखिम हेतु प्रस्तुत किया जाना था। परिवर्तित कटौती के आधार पर अधिक समाश्वासन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अतः कार्मिक माह मई, 2020 के वेतन से उक्त परिवर्तित/विकल्प के अनुसार बीमा प्रीमियम की कटौती करा सकेगें । अर्थात् मई 2020 के वेतन से तीन माह के एरियर की बीमा प्रीमियम कटौती (अर्थात् माह मार्च,अप्रेल एवं मई 2020) कटौती कराई जावेगी । ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा माह अप्रेल, 2020 के वेतन से कटौती

www.rajteachers.com

करवाई गई है, वह माह मई, 2020 के वेतन के साथ दो माह की कटौती करावाऐगें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकःएफ 18पार्ट–I/बीमा/व्य0एवंप0/2003–04/139–189 दिनांकः 15.05.2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय मुख्यालय जयपुर ।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक मुख्यालय जयपुर ।
3. मुख्य लेखाधिकारी मुख्यालय जयपुर ।
4. अतिरिक्त निदेशक सिस्टम मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन पै–मैनेजर व विभागीय पोर्टल पर शीघ्र कराने का श्रम करावें, एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करावें।

15/5/2020

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर।

www.rajteachers.com